UPBN010041892026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1572/2026

श्रीमती सावित्री देवी बनाम राज्य

मु०अ०सं०–64/2026
धारा–108 बी०एन०एस०
थाना–फैजगंज बेहटा, जिला–बदायूँ।

29–06–2026

1– प्रार्थिनी/अभियुक्ता **श्रीमती सावित्री देवी** की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र **मु०अ०सं०–64/2026, धारा–108 बी०एन०एस०, थाना–फैजगंज बेहटा,** जिला–बदायूँ के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत अभियुक्ता जिला कारागार बदायूँ में निरूद्ध है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती कान्ती देवी द्वारा थाना– फैजगंज बेहटा, जिला–बदायूँ पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थिनी नगर पंचायत मुंडिया वार्ड सं० 2 की निवासी है। प्रार्थिनी के पुत्र सुरेश पुत्र डालचन्द्र को उसकी पत्नी सावित्री देवी पत्नी सुरेश निवासी वार्ड सं० 6 मुड़िया धुरे की थाना फैजगंज बेहटा लगातार प्रताड़ित करती रहती थी। दिनांक 30.03.2026 को सावित्री ने सुरेश को मारपीट कर घर के कमरे के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस बुला ली। पुलिस के आने पर जब पुलिस वालो ने सुरेश से अंदर से कुंडी खोलने को कहा तब उसने कुंडी नहीं खोली। पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर पुलिस मौके से चली गई तभी पीछे से सावित्री ने कमरे के बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया जिसमें कमरे में सुरेश मौजूद था और ताला लगाने के बाद सावित्री भी घर से चली गई। इसके बाद सावित्री ने शाम को लगभग साढे आठ बजे चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरु कर दिया कि सुरेश मर गया है। सुरेश के शरीर पर चोटें लगी थी। सूचना पर प्रार्थिनी सुरेश के घर पर पहुंची। सुरेश की लाश के पास से मिले उसके मोबाईल में एक वीडियो मिली है जिसमें सुरेश कह रहा है कि यदि मेरी मौत होती है तब उसके लिए सावित्री ही जिम्मेदार होगी। सुरेश की पत्नी सावित्री ने सुरेश को इतना ज्यादा प्रताड़ित व परेशान किया कि सुरेश को अपनी मौत को गले लगाना पड़ा सुरेश कि मौत कि जिम्मेदार सावित्री है जिसकी रिपोर्ट दर्ज की जाना आवश्यक है। अनुरोध है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाये। वादिनी की तहरीर के आधार पर उक्त मामला थाना– फैजगंज बेहटा, जिला बदायूँ पर मु०अ०सं०–64/2026, धारा–108 बी०एन०एस० के अंतर्गत **अभियुक्ता सावित्री देवी** के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

3– प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता उक्त वाद में झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया गया कथन असत्य व असंभाव्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र निष्पक्ष, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 30.03.2026 को समय करीब 08:30 बजे रात्रि दर्शायी गयी है। जबकि थाना हाजा पर रिपोर्ट प्रार्थिनी/अभियुक्त की सास कान्ती देवी द्वारा दिनांक 08.04.2026 को दर्ज करायी गयी है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण दर्शाया नहीं

Digitally signed by VIVEK SANGAL
Date: 2026.06.29 15:38:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्त के द्वारा दिनांक 30.03.2026 की सुबह 6:30 बजे को भी डायल 112 के कर्मचारी पी०आर०वी० 5018 कां० चमन सिंह को सूचना दी थी कि मेरा पति शराब के नशे में मेरे साथ मारपीट कर रहा है। उक्त सूचना पर थाना पुलिस पहुँची तो देखा कि मृतक सुरेश कश्यप ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था। अधिक शराब के नशे में होने के कारण काफी समझाने के बाद दरवाजा खुलवाकर बाहर निकाला था। जिसकी सूचना भी प्रार्थिनी/अभियुक्त ने पुलिस वालों के कहने पर तहरीर लिखकर थाने पर दी थी, जो जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संपन्न है। प्रार्थिनी/अभियुक्त को घटना के बाद घर वालों ने घर पर रहना दूभर कर दिया और मकान छोड़कर बाहर निकालने की धमकी देने लगे। तब प्रार्थिनी अपनी जान बचाकर दिनाँक 04.04.2026 को घर में ताला लगाकर उच्चाधिकारियों से मिलने चली गयी और अपना शिकायती प्रार्थना–पत्र सम्पूर्ण समाधान दिवस बिसौली में दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद प्रार्थिनी अपने घर पर गयी तो देखा कि सास कान्ती देवी, देवर देवरानी, जेठ–जेठानी सभी ने मिलकर प्रार्थिनी/अभियुक्त के घर पर लगाया गया ताला तोड़कर प्रार्थिनी/अभियुक्त के घर में रखा सारा सामान चोरी कर लिया और अपना ताला लगा दिया, जिसकी वीडियो गाँव के भले लोगों ने बनायी जो अब प्रार्थिनी/अभियुक्त के मोबाइल में संचित है। प्रार्थिनी ने जब शिकायत की तो उन्होंने कहा कि तू पुलिस वालों के खिलाफ 376 आई०पी०सी० का झूठा मुकदमा लिखवा दे तो तेरा मकान व सामान भी वापस कर देंगे और यहां पर रहने भी देंगे। लेकिन प्रार्थिनी / अभियुक्ता ने ऐसा करने से मना कर दिया इसी बात से क्षुब्ध होकर उक्त सभी लोगों ने प्रार्थिनी/अभियुक्ता को वहां से मारपीट कर भगा दिया।प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पीछे प्रार्थिनी/अभियुक्त की सास, जेठ–जेठानी, देवर–देवरानी आपस में मिलकर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के खिलाफ थाना हाजा पर झूठी रिपोर्ट दिनांक 08.04.2026 को दर्ज करा दी जिसका पता चलने पर प्रार्थिनी/अभियुक्त ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूँ व अन्य उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये और एक रजिस्ट्री दिनांक 20.04.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूँ को दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद प्रार्थिनी/अभियुक्ता ने मजबूर होकर मा० न्यायालय श्रीमान अपर सिविल जज (सी०डि०) / एफ०टी०सी० महोदय बदायूँ के यहां एक प्रकीर्ण वाद सं0–587/2026, धारा–173 (4) बी०एन०एस०एस० थाना–फैजगंज बेहटा, श्रीमती सावित्री देवी बनाम राजेश आदि के नाम से दायर किया गया, जिसमें मा० न्यायालय ने अपना संज्ञान लेते हुये प्रार्थिनी का वाद परिवाद में दर्ज कर दिया। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पति स्व० सुरेश से कोई भी सन्तान पैदा नहीं हुई है इसलिये प्रार्थिनी/अभियुक्ता से उसके ससुराल वाले अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखते है और प्रार्थिनी / अभियुक्ता के पति को शराब पिलाकर प्रार्थिनी के विरूद्ध कान भरते थे कि तू दूसरी शादी कर ले तो तेरा वंश आगे बढ जायेगा, घटना दिनांक 30.03.2026 को स्व० सुरेश के भाइयों अमर सिंह, राजेश, नरेश व राकेश ने प्रार्थिनी / अभियुक्ता के पति का फोन लेकर जबरदस्ती वीडियो बनवायी कि तेरी पत्नी का बलात्कार कर जान से मार देंगे। हम इसी वजह से प्रार्थिनी के पति ने अंदर से कमरा बंद कर स्वयं को फांसी लगा ली। यह घटना समस्त गाँव वालों के संज्ञान में है। प्रार्थिनी दिनांक 12.06.2026 से जिला कारागार बदायूँ में निरूद्ध है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा जीवन भर किसी भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं रही है। प्रार्थिनी की जमानत होने से गवाहान व सबूत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अतः प्रार्थिनी/अभियुक्ता को दौरान वाद जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4– अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कथन किया गया कि अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की कृपा की जाये

5– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्र मय केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में केस डायरी के साथ उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी मुकदमा के पुत्र सुरेश को उसकी पत्नी सावित्री देवी अर्थात अभियुक्ता द्वारा लगातार प्रताड़ित करने तथा दिनांक 30.03.2026 को अभियुक्ता सावित्री द्वारा सुरेश को मारपीट कर घर के कमरे के अंदर बंद कर देने व पुलिस बुला लेने तथा पुलिस के आने पर पुलिस वालों के कहने पर भी सुरेश द्वारा अंदर से कुंडी न खोलने तथा पुलिस का दोनों को समझा बुझाकर मौके से चले जाने और तभी पीछे से अभियुक्ता द्वारा सुरेश के कमरे के बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा देने व घर से चले जाने तथा शाम को लगभग साढ़े आठ बजे अभियुक्ता द्वारा चिल्ला चिल्ला कर सुरेश मर गया है, कहना शुरू करने, सुरेश के शरीर पर चोटें लगी होने तथा सूचना पर वादिनी द्वारा सुरेश के घर पहुंचने पर **सुरेश की लाश के पास से मिले उसके मोबाईल में एक वीडियो मिलने, जिसमें सुरेश द्वारा अपनी मौत होने का जिम्मेदार सावित्री के होने की बात कहने** तथा सुरेश की पत्नी सावित्री अर्थात अभियुक्ता द्वारा सुरेश को इतना ज्यादा प्रताड़ित व परेशान किये जाने जिससे सुरेश को अपनी मौत को गले लगाना पड़ने तथा सुरेश कि मौत कि जिम्मेदार सावित्री को होने आदि कथन किये गये हैं। केस डायरी के पर्चा संख्या–2 में **वादिनी मुकदमा कान्ती देवी**, जो कि मृतक सुरेश की मां है, द्वारा बयान 180 बीएनएसएस में प्राथमिकी में उल्लिखित कथनों का पूर्ण समर्थन किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में **मृतक की मृत्यु का कारण** Asphyxia and Myocardial Ischemia Due to Antemortem Hanging होना उल्लिखित है। केस डायरी के पर्चा संख्या –10 में अवलोकन वीडियो में अन्य कथनों के अलावा यह भी उल्लिखित किया गया है कि "जिस समय सावित्री ताला बंद कर जाती दिखाई दे रही है उस समय मृतक सुरेश की आवाज आ रही है कह रहा है कि मेरी मौत की जिम्मेदार ये मेरी पत्नी होगी तथा वीडियो देखने से दिन उजाले की दिखाई प्रतीत है।'' विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा मृतक अर्थात अपने पति सुरेश को प्रताड़ित किया गया है व उसके कमरे का बाहर से ताला लगाकर बन्द कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक द्वारा मोबाइल में वीडियो बनाये जाने जिसमें मृतक द्वारा अपनी मौत का जिम्मेदार सावित्री को होना बताये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि उसका मृत्युपूर्व कथन है। अभियुक्ता जमानत की पात्र नहीं है। जहां तक अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत कराये जाने, अभियुक्ता को झूठा फंसाये जाने हेतु सास, जेठ–जिठानी, देवर–देवरानी द्वारा आपस में मिलकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने, जिसका पता चलने पर अभियुक्ता द्वारा न्यायालय में एक वाद श्रीमती सावित्री बनाम राजेश आदि दर्ज कराने आदि लिये गये तर्कों का संबंध है, तो यह विचारण का विषय है। अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता की सक्रिय भूमिका दर्शित है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आधार जमानत पर्याप्त नहीं है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता **श्रीमती सावित्री देवी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–29–06–2026

(विवेक संगल)
सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।

भूपेश J.O.Code–U.P.6516